राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 333/2022
गंगा सिंह भाटी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को एक आरोप पत्र 23.03.2009 के द्वारा दिया गया, जिससे यह आरोप लगाया गया कि वह दिनांक 08.03.2008 से स्वेच्छा से अनुपस्थित है। जांच अधिकारी उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर दण्डाधिकारी ने अपीलार्थी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और प्रकरण को समाप्त करने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी दिनांक 31.03.2009 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो गया था लेकिन उसे विभागीय जांच विचाराधीन होने के आधार पर जो प्रोविजनल पेंशन नियमानुसार मिलनी चाहिये थी वह भी नहीं दी गई। बाद में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 9 जनवरी 2014 के द्वारा प्रोविजनल पेंशन जारी की गई जबकि अपीलार्थी नियमानुसार सेवानिवृति के तुरन्त पश्चात प्रोविजनल पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी था। जब अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.05.2015 के द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया तो उसे ततपश्चात जून 2015 से सभी सेवानिवृति लाभ नियमानुसार दे दिये जाने चाहिये थे लेकिन उसे उक्त लाभ आज दिनांक तक नहीं दिये गये। अपीलार्थी ने अनेक बार संपर्क कर निवेदन किया कि उसे सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिये जाय लेकिन उसे लाभ नहीं

दिये गये अंतिम रूप से दिनांक 15.11.2021 को एक प्रतिवेदन प्रमुख शासन सचिव को दियो लेकिन उस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपीलार्थी को जो सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 29.09.2008 (प्रदर्श ए–3) के द्वारा पदोन्नत किया गया था, पदोन्नति के पश्चात उसका वेतन निर्धारण नहीं किया या था क्योंकि पदोन्नति के कुछ समय पश्चात वह अवकाश पर चला गया था इसलिए उसका वेतन स्थिरीकरण अधिशाषी अभियंता के पद पर नहीं किया गया जो कि वह नियमानुसार करवाने का अधिकारी है। अपीलार्थी दिनांक 08.03.2008 से 29.03.2009 तक की अवधि का नियमानुसार वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

> ''क– कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थना है कि अपीलार्थी को दिनांक 08.03.2008 से 29.03.2009 तक की अवधि का वेतन नियमानुसार दिया जाय।
>
> ख– कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 29.09.2008 (प्रदर्श ए–3) के द्वारा जो सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था उसके आधार पर उसका वेतन निर्धारण कर सेवानिवृति की दिनांक तक बकाया वेतन मय 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जाय।
>
> ग– कि अपीलार्थी का अधिशाषी अभियंता के पद का वेतन निर्धारण करने के पश्चात जो अंतिम वेतन बनता है उसके आधार पर अपीलार्थी की पेंशन स्वीकृत की जावे और ऐरियर राशि 9 प्रतिशत व्याज सहित दिलाय जाय।
>
> घ– कि अपीलार्थी को उसके अंतिम वेतन के आधार पर उसके 300 दिवस के बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान मय व्याज सहित दिलवाया जाय । अपीलार्थी को अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्यूटी की राशि का भुगतान नियमानुसार 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जाय।
>
> च– खर्चा अपील दिलवाई जावे।
>
> छ– अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझें, दिलवाई जावे ।''

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 09 जनवरी 2014 के आदेश के द्वारा प्रोविजनल पेंशन जारी की गई है। आदेश दिनांक 12.05.2015 के द्वारा

आरोप मुक्त किया गया, परंतु अधिकारी की दिनांक 08.03.2008 से 29.03.2009 तक की अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ। (कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण घरेलू इलाज। कारण बताया गया परंतु अधिकारी ने नियमानुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी (सिफनेस व फिटनेस) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके लिए अधीक्षण अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना वृत पोकरण ने अपने कार्यालय पत्रांक 1204–06 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा प्रार्थी श्री गंगा सिंह भाटी को पत्र भी लिखा गया कि बिना अवकाश स्वीकृति के वेतन निर्धारण का कार्य शेष है। कार्यग्रहण दिनांक से अधिशाषी अभियंता पद का वेतन, एरियर राशि, बकाया 300 दिन का PL Encashment इत्यादि लाभ दिया जा सकेगा तथा 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान मांगा जाना उचित नहीं है।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन नहीं दी गई और दिनांक 09.01.2014 को प्रोविजनल पेंशन जारी की गई। प्रोविजनल पेंशन दिये जाने का कारण यह रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित थी। विभागीय जांच में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.05.2015 के द्वारा आरोप मुक्त कर प्रकरण समाप्त किया गया। अपीलार्थी को चूंकि आरोप मुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी पेंशन, ग्रेचुटी एवं पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण एवं इसके पश्चात रिवाईज पेंशन व पेंशन पर एरियर राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। साथ ही अपीलार्थी उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है एवं अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अपीलार्थी ने इस प्रकरण में यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी दिनांक 08.03.2008 से दिनांक 29.03.2009 तक अवकाश पर रहा था, जिस अवधि का वेतन भी अपीलार्थी को दिलाया जाये। जहां तक अवकाश अवधि के वेतन का संबंध है, इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग ने यह जवाब प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के अवकाश की स्वीकृति किया जाना शेष है। उसके पश्चात ही उस अवधि का वेतन निर्धारण किया जा सकता है।

5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी को विभागीय जांच में आरोप मुक्त घोषित किया जा चुका है एवं इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के दिनांक 08.03.2008 से दिनांक 29.03.2009 तक की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जाना शेष है। हम प्रत्यर्थी विभाग को निम्न प्रकार से निर्देश दिया जाना उचित पाते हैं:–

1. अपीलार्थी के दिनांक 08.03.2008 से दिनांक 29.03.2009 तक की अवकाश अवधि की स्वीकृति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें एवं यदि अपीलार्थी को अवकाश स्वीकृति की जाती है तो नियमानुसार उक्त अवधि का देय योग्य वेतन अपीलार्थी को प्रदान किया जाये।
2. अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, सिविल के पद पर दी गई पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण कर अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति तक नोशनल लाभ प्रदान किया जाये।
3. अपीलार्थी के उपार्जित अवकाश के संबंध में PL Encashment का लाभ प्रदान किया जाये।
4. अपीलार्थी को ग्रेचुटी का लाभ प्रदान किया जाये।
5. अपीलार्थी के वेतन निर्धारण के पश्चात अपीलार्थी की पेंशन नियमानुसार संशोधित की जाये एवं अपीलार्थी को एरियर राशि का भुगतान किया जाये।
6. अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम–1996 के नियम–89 के तहत नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया जाये।
7. उपरोक्त आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)